ए0सी0 शर्मा
आई0पी0एस0

अ0शा0परिपत्र संख्या- 31 /2012

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-बी0एन0 लहरी मार्ग, लखनऊ ।

दिनांक : जुलाई 05 , 2012

प्रिय महोदय,

बच्चों का गुम हो जाना एक अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। यदि पुलिस को इसकी सूचना माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा दी जाती है तो यह और भी गम्भीर बात हो जाती है, क्योंकि किसी बच्चे के गुम हो जाने पर माता-पिता अथवा अभिभावक पहले स्वयं ही उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं और अपने प्रयास में असफल होने के उपरान्त पुलिस को सूचना देते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह संदेह करने का यथेष्ठ कारण होता है कि या तो बच्चे का अपहरण कर लिया गया है अथवा बच्चा किसी अपराध से प्रभावित हो गया है। बच्चों के अपहरण तथा उनके अपराध की विषय-वस्तु बन जाने की परिस्थितियों में से कुछ निम्नांकित हो सकती हैं -

1. फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण ।
2. संगठित गिरोहों द्वारा भीख मांगने के लिए बच्चों का अपहरण ।
3. संगठित गिरोहों द्वारा मादक द्रव्यों के व्यापार, जेब काटने इत्यादि अपराधों के लिए बच्चों का अपहरण ।
4. श्रमिक के रूप में उपयोग।
5. बच्चों का और विशेष रूप से लड़कियों का दैहिक शोषण करने की दृष्टि से अपहरण तथा देश के विभिन्न भागों और विदेशों में उनका व्यापार।
6. निःसंतान दम्पति द्वारा बच्चों का अपहरण ।
7. अंग प्रत्यारोपण के लिए बच्चों का अपहरण ।
8. धार्मिक अंधविश्वास, तंत्र क्रियाओं एवं बलि इत्यादि के लिए बच्चों का अपहरण ।
9. बच्चों द्वारा माता-पिता अथवा अभिभावक से किसी कारणवश नाराज होकर घर से भाग जाना तथा अपराधी गिरोहों के चंगुल में फंस जाना।

2. उपरोक्त सभी परिस्थितियां ऐसी हैं, जो अपराध घटित होने की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि जब भी उन्हें किसी बच्चे के गुम होने की सूचना मिलती है और किसी अपराध की सम्भावना हो तो पुलिस अपहरण के शीर्षक के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ करें।

3. जैसा आप अवगत हैं कि प्रदेश के सभी थानों पर बाल कल्याण अधिकारी नामित किए गए हैं एवं समन्वय के लिए जनपद स्तर पर आपके नेतृत्व में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है जिसका दायित्व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं की देख-रेख एवं कानून के विरोध में आए बालक/बालिकाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना है। प्रदेश के 24 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का भी गठन किया गया है एवं उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए है। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें क्रियाशील किया जाए एवं इनके दायित्वों से इन्हें भली भांति अवगत कराया जाए।

4. इस प्रकार के मामलों में समय अत्यन्त मूल्यवान होता है और तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके ही बच्चों को बरामद किया जा सकता है और अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि घटना की सूचना मिलते ही विवेचक/जांचकर्ता बच्चे से सम्बन्धित समस्त विवरण जिसमें उसका हुलिया, पता, फोटो, घटना स्थल का विवरण, उसके जा सकने का सम्भावित स्थान, संदिग्ध अपहरण कर्ताओं का विवरण, उनके जा सकने के स्थान, उनके शरण दाताओं के पते इत्यादि अत्यन्त तत्परतापूर्वक एकत्र करें। इसके लिए वह घटना स्थल से तथा अपहृत बच्चे के घर से अभिभावक इत्यादि से समस्त सामग्री एकत्र करेगा। साथ ही साथ अविलम्ब सभी सीमावर्ती जनपदों को सतर्क कर दिया जाएगा। यदि बच्चे के किसी विशिष्ट स्थान पर जाने की सम्भावना है तो तत्काल सम्बन्धित थाना और जनपदीय पुलिस अधीक्षक को भी सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल स्थानीय समाचार पत्रों, टी0वी0 चैनलों, केबल चैनलों इत्यादि को भी सूचित किया जाएगा ताकि बच्चे के गुम होने की सूचना को तत्काल प्रसारित किया जा सके। यह कार्यवाही 24 घंटे के अन्दर कर ली जाएगी। चूंकि इसमें कई गतिविधियां शामिल होगी, इसलिए थानाध्यक्ष विवेचक के साथ कम से कम दो आरक्षी भी लगाएगा। यदि प्रकरण में किसी आपराधिक गिरोह के संलग्न होने का संदेह हो अथवा विशिष्ट कारणों से हत्या किए जाने का संदेह हो तो एक से अधिक टीमें बनाकर समस्त सूचनायें एकत्र करते हुए तेजी से अपराधियों को पकड़ने और बच्चे को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा।

5. बाल कल्याण अधिकारी द्वारा समस्त संकलित सूचना 24 घण्टे के अन्दर पर्यवेक्षक अधिकारी के माध्यम से जिला मुख्यालय पर जनपदीय पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जायेगी। उसका यह दायित्व होगा कि वह स्वयं तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों, टी0वी0 चैनलों और केबिल चैनलों पर बच्चों के गुम होने की सूचना प्रसारित किया जाना सुनिश्चित कराएगा साथ ही साथ एस0सी0आर0बी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म में सम्पूर्ण सूचना अंकित करवा कर, इस फार्म को एस0सी0आर0बी0 भेजना सुनिचित करेंगे ताकि विवरण यू0पी0 पुलिस बेवसाइट पर प्रदर्शित की जा सके। बच्चे के माता-पिता/अभिभावक से स्वयं मिलकर आवश्यक जानकारी हासिल करेगा। इस कार्य में जनपद स्तर पर गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। जिन जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाईयों का गठन किया गया है, उन्हें इसकी सूचना अवश्य दी जाएगी। जनपद स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई/एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा mahilakalyan.up.nic.in बेवसाइट पर प्रदर्शित प्रदेश के विभिन्न गृहों में आवासित बालक/बालिकाओं के विवरण को चेक कर देखा जाएगा कि गुम हुए बालक/बालिका इन गृहों में आवासित तो नहीं हैं।

6. 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे भावनात्मक उद्वेगों के कारण अतिशीघ्र निराश हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या तक कर लेते है। प्रायः निराशा की स्थिति में वह घर से भाग भी जाते हैं। ऐसी स्थितियों में वह बड़े शहरों में शरण लेते हैं और जीवन यापन की तलाश में ढाबों, होटलों, कारखानों, गैराजों इत्यादि में काम करने लगते हैं। वह शारीरिक शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को तलाश कर उन्हें उनके अभिभावकों तक पहुँचाने का पुलिस का दायित्व है। अतः सभी मुख्य नगरों, महानगरों में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाय एवं उनकी सूची बनायी जाय। माह में कम से कम एक बार इन स्थानों की चेकिंग की जाती रहे। इन स्थानों पर जो भी बच्चे मिले उन्हे उनके अभिभावकों को वापस कराया जाना चाहिए।

7. मासिक अपराध गोष्ठी में बच्चों के गुम होने के प्रकरणों की विशेष रूप से जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा समीक्षा की जायेगी। यदि पुलिस अधीक्षक अनुभव करते हैं कि किसी विशेष रूप से प्रयास की आवश्यकता है तो विशिष्ट टीम गठित कर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में विवेचना करायी जायेगी। जनपद स्तर पर बच्चों की गुमशुदगी डी0सी0आर0बी0 के गुमशुदगी सेल में संकलित की जायेगी एवं इनकी वापसी के लिए किये गये प्रयासों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

8. परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक वर्ष में कम से कम दो बार गुमशुदा/अपहृत बच्चों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा करेगें। इसके साथ ही साथ वह विशिष्ट प्रकरणों पर सर्तक दृष्टि रखेगें और विवेचना हेतु उचित निर्देश देगें।

9. राज्य स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक (अपराध), उ0प्र0 के अधीन एक विशिष्ट सेल का गठन किया जायेगा। यह सेल गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु अनुश्रवण एवं समन्वय का कार्य करेगा। यह सेल स्वतः मामलों का संज्ञान लेकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सक्षम होगा।

10. पुलिस द्वारा अभी तक उन अपराधों के सम्बन्ध में गिरोह सूचीबद्ध किये जाते हैं, जो आज से वर्षो पहले अत्यधिक महत्वपूर्ण होते थे। समय के साथ अपराधों में भी परिवर्तन हुआ हैं। बच्चों का अपहरण कर फिरौती वसूलना अंग प्रत्यारोपण के लिए अपहरण आदि नये अपराध हैं। बच्चों का अपहरण एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। इस प्रकार की कार्यवाही में लिप्त होने वाले व्यक्तियों एवं गिरोहों पर पैनी नजर रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः बच्चों के अपहरण में लिप्त व्यक्तियों की हिस्ट्रीशीट खोलना और ऐसे गिरोहों को सूचीबद्ध कर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भी नियमानुसार तत्परता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

11. गुमशुदा/अपहृत बच्चों के विषय में आवश्यक तत्परता एवं गम्भीरता से कार्यवाही न करने वाले पुलिसकर्मियों को दीर्घ दण्ड से दण्डित किया जाय।

12. पूर्व में गायब हुए बच्चों के सम्बन्ध में थानों, क्षेत्राधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूची बना ली जाय। पिछले 03 वर्षो के ऐसे मामलों की क्षेत्राधिकारी अपने स्तर पर समीक्षा कर लें और यदि ऐसे मामलें प्रकाश में आए, जिनमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है और बच्चों की बरामदगी भी नहीं हुई है तो सम्बन्धित थानाध्यक्षों के द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों में जहाँ पर बच्चे गायब हुए हैं भ्रमण कर पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली जाय और उनके सम्बन्ध में भी उपरोक्त दिशा-निर्देश के अनुरूप आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाय।

13. यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि उपरोक्त कार्यवाही के लिए बच्चों की श्रेणी में किस आयु तक के लोगों को शामिल किया जाय। विभिन्न अधिनियमों में बच्चों की अलग-अलग परिभाषा की गई है, जिसके कारण प्रायः संशय पैदा होता है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा -176 में यह इंगित किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक एवं 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के गुम होने की सूचना पर क्या कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में वर्तमान वैधानिक स्थिति The juvenile justice(Care & protection of children) Act 2000 से नियंत्रित होता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(k) के अनुसार बच्चों की परिभाषा निम्नवत है:-

"Juvenile" or "child" means a person who has not completed 18 years of age.

स्पष्टतः राज्य और विधि की मंशा यह है कि 18 वर्ष के कम आयु के बालक/बालिकाओं को राज्य का सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। अतः आपको स्पष्ट किया जाता है कि समस्त कार्यवाही 18 वर्ष के कम आयु के बालक और बालिकाओं के सन्दर्भ में तत्परता से की जानी चाहिए।

प्रत्येक गुमशुदा बालक/बालिकाओं के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार की गयी कार्यवाही का लेखा-जोखा बाल कल्याण अधिकारी, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं प्रभारी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा रखा जाएगा।

कृपया इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें। कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि भविष्य में अपहरण/गुमशुदगी के प्रत्येक प्रकरण में चेकलिस्ट में अंकित बिन्दुओं पर अवश्य और समय सीमा के अन्दर कार्यवाही कर ली जाय।

भवदीय,

5.7.12

(ए0सी0 शर्मा)

संलग्नक- चेक लिस्ट ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उ0प्र0।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, लोक शिकायत, उ0प्र0।

चेक लिस्ट

अनुलग्नक-1

खोये हुये अथवा अपहृत हुये बच्चों के मामले की विवेचना/जांच हेतु कार्यवाही के लिये चेकलिस्ट निम्नानुसार होगी-

जांच अधिकारी/विवेचनाधिकारी हेतु चेकलिस्ट

		हां	नहीं
1-	खोये हुये बच्चों के मामले को देखने वाला पुलिस अधिकारी क्या सादे कपडे में है	( )	( )
2-	क्या बच्चे के माता-पिता/संरक्षक या परिवादी से पूँछतांछ की गई है?	( )	( )
3-	क्या खोने का तथ्य प्रमाणिक है, mahilakalyan.up.nic.in वेवसाइट को चेक किया गया है?	( )	( )
4-	क्या बच्चे की अभिरक्षा की स्थिति प्रमाणिक है?	( )	( )
5-	क्या गायब होने की परिस्थितियां चिन्हित हैं?	( )	( )
6-	क्या उस व्यक्ति से पूँछतांछ हुई है जिसके बच्चा अन्तिम बार सम्पर्क में था?	( )	( )
7-	क्या खोये हुये बच्चे अपहर्ता का विस्तृत विवरण प्राप्त किया गया है और क्या कोई वाहन भी घटना में प्रयुक्त हुआ है?	( )	( )
8-	क्या बच्चे/अपहर्ता का फोटो/वीडियो टेप प्राप्त किया गया है?	( )	( )
9-	क्या एफ0आई0आर0तुरन्त पंजीकृत हुई है और जी0डी0 में इसकी प्रविष्टि की गई है?	( )	( )
10-	क्या मानक संचालन प्रकिया (SOP) में उल्लिखित सभी निर्देशों का पालन किया गया है?	( )	( )
11-	क्या परिवादी को उसके द्वारा मांगी जाने वाली प्रगति की सूचनायें प्रदान की गई है?	( )	( )
12-	क्या बच्चे के मित्रों/साथियों, रिश्तेदारों और पारिवारिक मित्रों के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर आदि प्राप्त किये गये हैं?	( )	( )
13-	क्या घटनास्थल व बच्चे के घर का क्षेत्र सुरक्षित है?	( )	( )
14-	क्या बच्चे के पास मोबाइल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक उपकरण या इण्टरनेट प्रयुक्त करने का कोई साधन था?	( )	( )
15-	क्या छिपाये जाने के स्थान, वाहन तथा आस-पास के क्षेत्र की खोज की गई है?	( )	( )
16-	क्या बचाये गये/बरामद किये गये बच्चे को अविलम्ब चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?	( )	( )

पर्यवेक्षण अधिकारी के लिये चेक लिस्ट	हाँ	नहीं
1- क्या मामले की ब्रीफ व लिखित आख्या प्रथम जांच/विवेचना अधिकारी से प्राप्त हो गई है?	( )	( )
2- क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि विवेचना में सहयोग हेतु अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की आवश्यकता है?	( )	( )
3- इस बात का निर्धारण कर लिया गया है कि मामले में राज्य स्तर अथवा आसपास के राज्यों के स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है?	( )	( )
4- प्रभावी विवेचना हेतु क्या आवश्यक सभी स्रोतों, संसाधनों व सहयोग के लिये निर्देश दिये गये है, जिससे कि उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके?	( )	( )
5- क्या सभी विधिक प्रवर्तक संस्थाओं से विवेचना एवं खोज के प्रयासों में सहयोग /समन्वय प्राप्त हुआ अथवा नहीं?	( )	( )
6- क्या सभी आवश्यक सूचनायें तैयार कर ली गई है?	( )	( )
7- क्या सभी नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया गया है?	( )	( )
8- क्या सभी निर्णयों/संकल्पों को आत्मसात कर लिया गया है, जो कि उत्पन्न हुये थे?	( )	( )
9- क्या सम्पूर्ण मामले के मध्य रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से मीडिया का खोज में सहयोग लिया गया है?	( )	( )
10- क्या जांच/विवेचना में संगठित गिरोह, बंधुवा मजदूर, यौन शोषण आदि से सम्बन्धित विधियों के दृष्टिकोण से समीक्षा/निष्कर्ष निकाला गया है?	( )	( )